(143)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0,

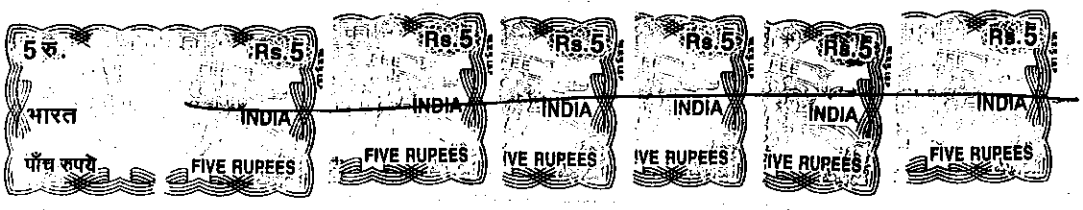

III/निग0/रीवा/भू-रा0/2017/2670 Rs.30/-

लल्लू यादव तनय स्व0 रामधारी यादव निवासी ग्राम बहेरा तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0, ...**निगरानीकर्ता**

बनाम

अमृतलाल गौतम तनय श्री कौशल प्रसाद ब्रा0 निवासी ग्राम बहेरा तहसील मनगवां जिला जिला रीवा म0प्र0 ....**गैरनिगरानीकर्ता**

अधि0श्री कृष्णमान पटेल द्वारा पेश/05-8-2017

क्लर्क ... राजस्व मण्डल म0प्र0 ... (सर्किट कोर्ट) ...

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक सर्किल गढ़ तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0, के प्रकरण कमांक-18-ए-12/2013-14 आदेश दिनांक-30.06.2014,

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं पकिया के विपरीत होने से निरस्तगी के योग्य है।

2. यह कि निगरानीकर्ता की भूमि आराजी खसरा कमांक-9/1क स्थित ग्राम बहेरा में स्थिति है का भूमिस्वामी है, उसकी भूमि गैरनिगरानीकर्ता की भूमि आराजी खसरा कमांक-9/6, 9/7 से लगी भूमि है, अर्थात् भूमि नं0 9/6, 9/7 का निगरानीकर्ता सरहद्दी कास्तकार है, कथित सीमांकन दिनांक-12.06.2014 की उसे कोई जानकारी नहीं दी गयी, उसके वगैर उपस्थिति में चोरी-छिपे मौके पर वगैर कोई सीमांकन किये, गैरनिगरानीकर्ता के प्रभाव में सीमांकन के दस्तावेज तैयार किये गये, तथा किसी भी दस्तावेज पंचनामा, सूचना

लल्लू यादव

पहल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक तीन–निग0/रीवा/भू.रा./2017/2670

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-09-17	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त गढ़ तहसील मनगवॉ के प्रकरण कमांक 18 अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनॉक 30–6–14 के विरूद्व राजस्व मण्डल, म0प्र0 सर्किट कोर्ट रीवा में दिनांक 5–8–17 को (3 वर्ष) से अधिक अवधि वाद प्रस्तुत की गई है। अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन पर एंव निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये। 2/ अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों को सही मानकर यदि मामले में गुणदोष पर विचार किया जावे, राजस्व निरीक्षक गढ़ तहसील मनगवॉ ने अनावेदक की आराजी कमांक 9/6 एंव 9/7 का दिनांक 12–6–14 को सीमांकन किया है तथा आपत्ति न आने पर आदेश दिनांक 30–6–14 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है। आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित होना बताया है । यदि अनावेदक की भूमि के सीमांकन से आवेदक स्वयं की भूमि को प्रभावित होना मानता है, तब आवेदक स्वयं की भूमि का सीमांकन आर.आई. अथवा उससे वरिष्ठ अधीक्षक भू अभिलेख से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन एंव सीमांकन आदेश दिनॉक 30–6–14 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। फलतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। सदस्य	